3. नियुक्ति का तरीका : योग्य अभ्यर्थियों का चयन एम.बी.बी.एस/एम.डी./एम.एस/एम.डी.एस./डिप्लोमा परीक्षा सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरान्त किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।

4. शैक्षणिक योग्यता : 1. जिन चिकित्सकों ने नाटिस निकलने के दिनांक से पिछले पांच वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस/डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण किया है वे ही इस पद के पात्र होंगे। सीनियर रेजीडेंट पर पर नियुक्त किसी चिकित्सक को निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी। जिन चिकित्सकों ने इसी महाविद्यालय से एम.डी./एम.एस./एम.डी.एस/डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण किया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

2. सीनियर रेजीडेंट पद हेतु पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा (02 वर्षीय पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित विषय में डिप्लोमा उपरांत 01 वर्षीय अनुभव अनिवार्य है, वे ही सीनियर रेसीडेंट पद हेतु पात्र माने जावेंगे।

5. संस्था द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
6. यात्रा भत्ता : साक्षात्कार के लिये किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

अन्य शर्ते :

1. चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्षो में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी। यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, पर इन रेजीडेंट से संबंधित सभी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. उम्मीदवार के म.प्र. राज्य मेडिकल कौंसिल अथवा मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
8. साक्षात्कार में सम्मलित होने वाले चिकित्सकों को स्क्रूटनी समिति के समक्ष यह शपथ पत्र देना होगा कि उनका नाम पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में नहीं है एवं उनके विरूद्ध कोई भी प्रकरण पुलिस में दर्ज नहीं है, यदि इने विरूद्ध पी.एम.टी./पी.जी. फर्जीवाड़े की सूची में है या इनके विरूद्ध प्रकरण पुलिस में दर्ज है तो इन्हें आवेदन भरने एवं साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
9. साक्षात्कार के समय यदि विभाग में ओबीसी पद रिक्त है तो उक्त पद के लिये आवेदक द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तभी साक्षात्कार में सम्मलित किया जावेगा।
10. बॉण्डेड अभ्यर्थी को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने एक वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु बॉण्ड भरा हुआ है, एवं आज दिनांक तक मेरी पोस्टिंग/नियुक्ति ग्रामीण सेवा हेतु शासन की तरफ से नहीं आई है/किन्तु मैंने अपनी ज्वाईनिंग शासन द्वारा बताये गये स्थान पर आज दिनांक तक नहीं दी है। यह शपथ पत्र शासकीय सेवा के अंतर्गत बॉण्ड के बदले सीनियर रेजीडेंट पद के लिये प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

क्रमांक –3162-68/द.चि.म./2019 दतिया, दिनांक–18/07/2019

प्रतिलिपि–सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. आयुक्त, संभाग–ग्वालियर, ग्वालियर।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अधिष्ठाता, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, रीवा।
6. सूचनापटल पर चस्पा करें।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,दतिया (म.प्र.)